

**प्रारम्भिक डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

1. श्री रूपलाल पिता वेणा सुथार निवासी खेमपुर तह. मावली।

उन्वान

.....वादी

- बनाम
1. श्री चुन्नीलाल पिता स्व. मीठालाल सुथार निवासी खेमपुर तह. मावली।
  2. श्रीमती नर्बदा पुत्री स्व. मीठालाल पत्नी रोशन सुथार निवासी भैसडाकलां तह. गिर्वा।
  3. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. मीठालाल पत्नी आन्नद सुथार निवासी गाडवा तह. मावली।
  4. श्रीमती नारायणी बेवा स्व. मीठालाल सुथार निवासी खेमपुर तह. मावली।
  5. श्री नारायणलाल पिता स्व. धन्ना सुथार निवासी खेमपुर तह. मावली।
  6. श्रीमती राधा पुत्री स्व. धन्ना पत्नी नीरज सुथार निवासी नवाणिया तह. वल्लभनगर।
  7. श्रीमती भंवरीदेवी बेवा स्व. धन्ना सुथार निवासी खेमपुर तह. मावली।
  8. श्री दिनेशकुमार पिता मांगीलाल छाजेड, महाजन निवासी खेमपुर हाल तह. रोड मावली तह. मावली।
  9. श्रीमती ललितादेवी पत्नी दिनेशचन्द्र छाजेड, महाजन निवासी खेमपुर हाल तह. रोड मावली तह. मावली।
  10. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 222/18 वाद

निर्णय दिनांक : 15.07.2019

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.07.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि - मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 800 श.न. 802, 804, 805 किता 3 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं, कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे। फिस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। यह आज तारीख 15.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

**सत्य प्रतिलिपि**

( मोहन सिंह )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
मावली  
Scanned by CamScanner